

टेलीफोन 0471 2337040 to 22337042  
Telephone 2337045 to 2337046,  
2337553, 2337552  
e-mail thiruvan@excise.nic.in



फैक्स / Fax 0471 2325252

फैक्स / Fax 0471 2337047

आयुक्त / Commissioner 0471 2320022

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क तथा सेवा कर आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX  
पी.बी.नं 13, आई.सी.ई.भवन, प्रेस क्लब रोड, तिरुवनंतपुरम 695001  
P.B.No.13, I.C.E.BHAVAN, PRESS CLUB ROAD. THIRUVANANTHAPURAM 695001

**व्यापार सूचना सं / TRADE NOTICE NO: 22/2016 - ST**

दिनांक Dated : 29/09/2016.

10603/16

विषय :- अधिसूचना संख्या 25/2012- सेवा कर दिनांक 20.06.2012 , क्रम संख्या 5(ए) की व्याप्ति के संबंध में स्पष्टीकरण संबंधित

Subject :- Clarification regarding Scope of Notification No.25/2012-Service Tax dated 20.06.2012, Sl.No.5(a).

भारत सरकार , वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निम्न परिपत्र की प्रतिलिपि जानकारी , मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संसूचित की जाती है ।

The copy of the following Circular issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, New Delhi is communicated herewith for information, guidance and necessary action.

क्र सं Sl. No.	परिपत्र सं एवं दिनांक Circular No. and Date	जारी करने वाले प्राधिकारी का संदर्भ सं Ref. No. of Issuing Authority	विषय Subject
1	200/10/2016-ST Dated: 06/09/2016	F.No: 354/45/2016-TRU	अधिसूचना संख्या 25/2012- सेवा कर दिनांक 20.06.2012 , क्रम संख्या 5(ए) की व्याप्ति के संबंध में स्पष्टीकरण Clarification regarding Scope of Notification No.25/2012-Service Tax dated 20.06.2012, Sl.No.5(a).

(फाइल सी सं IV/16/1/2016 से क (मु) तक से जारी) (Issued from file C.No: IV/16/1/2016 ST (H) Tech)

Encl :- As above.

29.09.2016

(पुल्लेला नागेश्वरा राव Pullela Nageswara Rao)

प्रधान आयुक्त Principal Commissioner

To

- 1) तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय के वितरण सूची I, II एवं III  
Distribution list I, II & III of Thiruvananthapuram Commissionerate.
- 2) केंद्रीय उत्पादशुल्क मुख्य आयुक्त , केरल क्षेत्र , कोचिन Chief Commissioner of Central Excise, Kerala Zone, Cochin.
- 3) केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , कोचिन/कालिकट Commissioner of Central Excise, Cochin/Calicut.
- 4) सूचना पट्टा Notice board.